संख्या:29/2024/845ई-2/तेरह-2024-01/2020-1769561

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 03 अक्टूबर, 2024

विषय:-आबकारी नीति वर्ष 2024-25 में कतिपय संशोधनों के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3340/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2024-25/खण्ड-2, दिनांक 08-07-2024 एवं पत्र संख्या:जी-41/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2024-25/खण्ड-2, दिनांक 02-08-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं व्यवस्थापन हित में आबकारी नीति वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) आबकारी नीति का प्रस्तर-3.2.8(ii) को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि एब्सोल्युट अल्कोहल एवं रेक्टिफाइड स्प्रिट की निर्यात पास फीस उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (चौबीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2004 में यथा निर्धारित निर्यात पास फीस की दर क्रमश: रु.3.00 एवं रु.2.50 प्रति बल्क लीटर होगी।

(2) (अ) आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रस्तर-3.2.10(क) में अंकित, वर्ष 2024-25 हेतु बार अनुज्ञापनों की श्रेणियां एवं उनकी लाइसेंस फीस से संबंधित तालिका के क्रमांक-1 पर श्रेणी-4 के क्षेत्रों में स्थित एफ.एल.-6 (50 कमरों तक) अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस रु.5.00 लाख निर्धारित की जाती है।

(3) आबकारी नीति के प्रस्तर-3.2.10 के अंतर्गत निम्नांकित उप प्रस्तर-(ज) जोड़ा जाता है:-

(ज) वर्ष 2024-25 में वि.म.-6, प्रपत्र वि.म.-7 व प्रपत्र वि.म.-7क बार अनुज्ञापनों से सील बन्द बोतलों/केन की बिक्री परिसर के बाहर उपभोग हेतु अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रस्तर 3.5.2(3) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

3.5.2(3) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम के रु.700/-प्रति 750 एम.एल.या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 750 एम.एल. वाले ब्राण्डों और बीयर के रु.140/- प्रति 500 एम.एल. केन के एम.आर.पी. या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 500 एम.एल. केन वाली ब्राण्ड की बिक्री की जायेगी। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं के अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं उन ब्राण्डों की सभी धारितायें बिक्री के लिये अनुमन्य होंगी। प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु अनुमन्य अन्य श्रेणियों की मदिरा की समस्त धारिताओं की बिक्री भी अनुमन्य होगी।

(5) आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रस्तर-3.6.1(ग) को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अग्रेतर त्रैमासों में भी न्यूनतम त्रैमासिक राजस्व के उठान में कमी को प्रशमन धनराशि जमा करते हुये जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से अगले त्रैमास में पूर्ण कर लिया जाना अनुमन्य होगा और साथ ही बीयर के न्यूनतम त्रैमासिक राजस्व के उठान में कमी के प्रकरणों में प्रस्तर-3.6.3 के भी प्राविधान लागू होंगे।

(6) आबकारी नीति के प्रस्तर-3.11.1(घ) को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि ई-लाटरी के अंतिम चरण के पश्चात व्यवस्थापन का एक अंतिम प्रयास किया जायेगा और जनपद की अवशेष समस्त अव्यवस्थित दुकानों को ई-टेण्डर से व्यवस्थित कराया जायेगा तत्पश्चात अव्यवस्थित समस्त दुकानें समाप्त हो जायेंगी परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि अव्यवस्थित दुकान को व्यवस्थित कराये जाने के अंतिम प्रयास में विज्ञापित एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस/एम.जी.आर. आदि देयताओं पर ही ई-टेण्डर की प्रक्रिया संपन्न की जायेगी।

उक्त प्रयोजनार्थ यदि आबकारी आयुक्त द्वारा यह अवधारित किया जाता है कि किसी जनपद की कतिपय नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन हो पाना संभव नहीं है और समान संख्या में किसी अन्य जनपद/जनपदों से प्राप्त नवसृजन के पूर्ण प्रस्ताव को यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सका हो तब आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्थापन की संभावना न होने वाली दुकानों के नवसृजन को निरस्त करते हुये आंशिक अनुमोदित प्रस्ताव वाले जनपदों में अथवा अन्य जनपदों में नवसृजन की अनुमन्य सीमा के अंतर्गत समान संख्या में दुकानों को सृजित किया जा सकेगा।

(7) आबकारी नीति के प्रस्तर-3.13.1(ग) को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि इस श्रेणी में पूर्व से पंजीकृत किसी ब्राण्ड का पंजीकरण अन्य आयातक इकाई के पक्ष में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रस्तर-3.14 में अंकित बीयर पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के आरोपण से संबंधित तालिका में निम्नांकित विवरण जोड़ा जाता है:-

बीयर

क्र. सं.	बीयर की श्रेणी	बोतलों/केन की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्ट्रांग/लैगर	15 लीटर केग	300/-
2	समुद्र पार आयातित	15 लीटर केग	300/-

प्रस्तर के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(9) आबकारी नीति के प्रस्तर-3.15.1(17) के पश्चात निम्नांकित उप प्रस्तर-(17क) जोड़ा जाता है:-

(17क) पूर्व वर्षो से नवीनीकृत होती आ रहीं दो लाइसेंसियों वाली दुकानों के प्रकरणों में नवीनीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंसी की मृत्यु हो जाने और उसके विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती द्वारा प्रार्थना पत्र न दिये जाने अथवा उन्हें अनुपयुक्त पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दूसरे जीवित लाइसेंसी के पक्ष में वर्ष 2024-25 हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, निर्धारित तिथि तक जमा करने के प्रतिबंध के साथ दुकान का नवीनीकरण किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर वर्ष 2023-24 हेतु जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी।

(10) आबकारी नीति के प्रस्तर-3.15.1(17) के पश्चात निम्नांकित उप प्रस्तर-(17ख) जोड़ा जाता है:-

(17ख) पूर्व वर्षो से नवीनीकृत होती आ रहीं दो जीवित लाइसेंसियों वाली दुकानों का नवीनीकरण दोनों ही लाइसेंसियों के मध्य नवीनीकरण हेतु सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति न होने की दशा में नवीनीकरण किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(11) आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रस्तर-3.15.1(24) को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि यवासवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस बी-20 की वैधता एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी। यदि उक्त अवधि में यवासवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त अनुज्ञापन की वैधता इकाई द्वारा रु.2,50,000/-(दो लाख पचास हजार) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा बी-20 की वैधता अवधि में प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो।

(12) आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रस्तर-3.15.1(25) को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि आसवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस पी.डी-33 की वैधता दो वर्ष हेतु प्रदत्त है। यदि उक्त अवधि में आसवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुज्ञापन की वैधता इकाई द्वारा रु.5,00,000/-(पॉच लाख मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा पी.डी-33 की वैधता अवधि में प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो।

(13) आबकारी नीति के प्रस्तर-3.15.1(32) के पश्चात निम्नांकित उप प्रस्तर-(33) एवं उप प्रस्तर-(34) जोड़े जाते हैं:-

(33) प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु प्राविधानित माल में ऐसे शापिंग/कामर्शियल काम्प्लेक्स भी सम्मिलित माने जायेंगे जो संगत नियमावली में दी गयी माल की परिभाषा से आच्छादित होते हों।

(34) किसी माडल शॉप(एफ.एल.-4ए) एवं विदेशी मदिरा दुकान(एफ.एल.-5डी) की 200 मीटर की परिधि में कोई नवीन प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा परन्तु पूर्व से स्वीकृत प्रीमियम रिटल वेण्ड दुकानों पर यह प्राविधान लागू नहीं होगा।

(14) आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रस्तर-3.16(11) को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अधिष्ठापित क्षमता से अधिक पेय मदिरा की बोतल में भराई हेतु क्रय/प्रयुक्त किये गये ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए./अन्य कोई स्प्रिट पर पी.डी.-2 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की दोगुनी दर से लाइसेंस फीस देय होगी। प्रतिबन्ध यह होगा कि आसवनी को इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से 20 प्रतिशत अधिक की सीमा तक ही स्प्रिट क्रय/प्रयुक्त किये जाने की अनुमति होगी।

(15) आबकारी नीति के प्रस्तर-3.16 के अंतर्गत निम्नांकित उप प्रस्तर-12 जोड़ा जाता है:-

(12) आसवनियों के आगामी आबकारी वर्ष के निमित्त लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 28 फरवरी को या इससे पूर्व उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(16) आबकारी नीति के प्रस्तर-3.16 के अंतर्गत निम्नांकित उप प्रस्तर-13 जोड़ा जाता है:-

(13) आसवनी स्थापना हेतु प्रपत्र पी.डी.-32 मे आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक द्वारा ओइ.ई.एम. (Original Equipment Manufacturer) से स्थापित कराये जाने वाले उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर दैनिक आधार पर उत्पादित होने वाले अल्कोहल (किलोलीटर में) की अधिकतम क्षमता की घोषणा, शपथ पत्र के माध्यम से करनी होगी। इस प्रकार घोषित दैनिक अधिकतम उत्पादन क्षमता आसवनी की स्थापना के समय स्थापित किये जा रहे उपकरणों में तकनीकी उन्नयन अथवा उत्पादन तकनीक में उन्नयन के अलावा अपरिवर्तनीय होगी एवं उपरोक्तानुसार अधिकतम दैनिक उत्पादन क्षमता व संचालन दिवसों और प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत अधिष्ठापित क्षमता निर्धारित करते हुये इस पर अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण किया जायेगा। आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता विस्तार हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लगाये जाने वाले नये उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी उपरोक्तानुसार किया जाना अनुमन्य होगा। तकनीकी निरीक्षण के समय यदि ओ.ई.एम. तथा आसवक द्वारा मशीनरी की क्षमता के बारे में की गयी घोषणा से संबंधित शपथ पत्र में कोई त्रुटि पायी जाती है तो आसवक एवं ओ.ई.एम. के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। पूर्व से स्थापित आसवनियों के लिए भी अधिष्ठापित क्षमता का निर्धारण उपरोक्तानुसार ही करते हुए अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा परन्तु यह सुविधा मात्र एक बार ही प्रदान की जायेगी तथा अनुज्ञापन शुल्क का अंतर आसवनी संचालन के प्रारम्भ से वसूल किया जायेगा। किसी भी आसवनी की पूर्व निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता में किसी भी परिस्थिति में कमी नहीं की जायेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।